भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 6404
02 अप्रैल, 2026 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में खाद्य गुणवत्ता

†6404. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रहीः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में खाद्य गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों और मूल्यवर्धन को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) मेगा फूड पार्कों और अन्य पहलों के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण और संबद्ध कार्यकलापों में स्व-सहायता समूहों (एसएचजी), किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, मेगा फूड पार्कों और स्व-सहायता समूह आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए बजट आवंटन, स्वीकृत निधि और किए गए व्यय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार का विचार खाद्य उत्पादन, प्रसंस्करण क्षमता और रोजगार सृजन में वृद्धि करने के लिए विशेष रूप से ओडिशा सहित ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में एसएचजी के नेतृत्व वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक प्रौद्योगिकी और बाजार संपर्कों के लिए सहायता का विस्तार करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने का दायित्व सौंपा गया है। खाद्य गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, एफएसएसएआई ने विभिन्न सरकारी संस्थानों, राज्यों और निजी संस्थाओं की खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को सूचीबद्ध करके खाद्य नमूनों के विश्लेषण के लिए 252 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं और अपीलीय नमूनों के विश्लेषण के लिए 24 रेफरल खाद्य प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न खाद्य पदार्थों में मिलावट से निपटने के लिए वर्तमान में 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 305 मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं या फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स (एफएसडब्ल्यू) तैनात हैं।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक (एफएसएस) अधिनियम 2006 की धारा 38(4) और 47(4) के अंतर्गत जारी दिनांक 21.12.2020 के पूर्व दिशानिर्देशों के अनुरूप, जब्त, अस्वीकृत और समाप्त हो चुके खाद्य पदार्थों के निपटान के लिए पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाओं के सख्त अनुपालन को दोहराते हुए एफएसएसएआई ने दिनांक 03.11.2025 को एक परामर्शिका जारी की है।

इसके अतिरिक्त, एफएसएसएआई अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा विभागों के माध्यम से, सभी खाद्य उत्पादों के सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों का नियमित निरीक्षण और लेखापरीक्षा करता है ताकि एफएसएस अधिनियम, 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अंतर्गत स्थापित मानकों और वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी दो केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं, प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना

(पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से देश भर में खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है।

एमओएफपीआई की योजनाओं का उद्देश्य, अन्य बातों के अलावा, प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाना, फसलोत्तर नुकसान को कम करना और मूल्यवर्धित उत्पादों का विकास करना है।

(ख): किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और स्वयं सहायता समूहों (एसजीएच) एमओएफपीआई द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र हैं। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और स्वयं सहायता समूहों (एसजीएच) को पात्र परियोजना लागत (संबंधित उप-योजनाओं के अंतर्गत अधिकतम सीमा के अधीन) के 50% तक अनुदान राशि प्रदान की जाती है, जबकि सामान्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के लिए यह राशि 35% है ।

पीएमएफएमई योजना के ब्रांडिंग और मार्केटिंग घटक के अंतर्गत , किसान उत्पादक संगठनों/स्वयं सहायता समूहों/सहकारी समितियों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के स्पेशल पर्पस व्हीकल को उपभोक्ता खुदरा बिक्री के लिए गुणवत्ता नियंत्रण, मानकीकरण और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के प्रावधान के साथ एक समान पैकेजिंग और ब्रांडिंग विकसित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

एमओएफपीआई द्वारा दिनांक 01.04.2021 से मेगा फूड पार्क योजना को बंद कर दिया गया है। अब तक, एमओएफपीआई ने देश में 41 मेगा फूड पार्कों को स्वीकृति दी थी।

(ग): पीएमकेएसवाई और पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत राज्य-वार बजट आवंटन नहीं किया जाता है। पीएमकेएसवाई और पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत वर्ष 2020-21 से वर्षवार कुल आवंटन और उपयोग की गई धनराशि तथा पीएमएफएमई योजनाओं के अंतर्गत राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को वर्ष 2020-21 से जारी की गई धनराशि **अनुबंध** में दी गई है।

(घ): एमओएफपीआई ओडिशा समेत पूरे देश में संबंधित योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार एसएचजी समेत पात्र उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पीएमएफएमई योजना के क्षमता निर्माण घटक के अंतर्गत ,एमओएफपीआई प्रशिक्षकों, जिला रिसोर्स पर्सन, उद्यमियों और विभिन्न अन्य समूहों को उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी+) और उत्पाद विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान करता है ताकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

एमओएफपीआई द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा बाज़ार तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना है, जिसमें भंडारण, परिवहन, मूल्यवर्धन आदि शामिल हैं। इससे उत्पादकता में वृद्धि होती है, कृषि उपज की बर्बादी कम होती है, फसलोत्तर नुकसान में कमी आती है, प्रसंस्करण स्तर में वृद्धि होती है और इस प्रकार ओडिशा के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों सहित गैर-कृषि रोजगार के अवसर सृजित होते हैं।

अनुबंध

दिनांक 02 अप्रैल, 2026 को उत्तर हेतु "खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में खाद्य गुणवत्ता" के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 6404 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

एमओएफपीआई की पीएमकेएसवाई और पीएलआईएसएफपीआई योजनाओं में आवंटित और उपयोग की गई निधियों का विवरण

(करोड़ रुपये में)

योजना	वर्ष 2020-21		वर्ष 2021-22		वर्ष 2022-23		वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25	
	आर.ई	ए.ई	आर.ई	ए.ई	आर.ई	ए.ई	आर.ई	ए.ई	आर.ई	ए.ई
पीएमकेएसवाई	750.00	667.05	791	713.49	673.00	561.92	745	666.20	630	540.12
पीएलआईएसएफपीआई	योजना वर्ष 2021-22 में शुरू हुई		10	9.27	801	489.83	1150	590.50	700	450.49

आर.ई—संशोधित अनुमान, ए.ई .- वास्तविक व्यय

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 से राज्य-वार जारी की गई धनराशि

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	राज्य	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.82	1.92	0.34	0.38	0.00
2	आंध्र प्रदेश	34.98	25.12	18.57	46.25	10.62
3	अरुणाचल प्रदेश	0.15	7.34	0.03	11.09	8.00
4	असम	16.71	15.96	18.12	43.88	51.99
5	बिहार	9.05	13.59	1.61	88.65	100.39
6	चंडीगढ़	0.40	1.06	0.44	0.31	0.00
7	छत्तीसगढ	7.04	8.88	1.44	7.69	7.00
8	डी एंड एन एच और दमन और दीव	0.40	0.89	0.14	0.00	0.00
9	दिल्ली	0.50	0.32	1.15	0.50	4.25
10	गोवा	0.41	3.14	1.81	2.08	2.50
11	गुजरात	16.55	8.53	1.98	7.02	15.00
12	हरियाणा	3.23	3.98	5.46	11.25	25.00
13	हिमाचल प्रदेश	5.19	7.64	13.75	57.12	3.49
14	जम्मू और कश्मीर	8.19	1.50	2.16	2.68	25.75

15	झारखंड	2.69	1.74	0.00	9.79	14.22
16	कर्नाटक	32.47	21.48	31.07	27.76	57.50
17	केरल	10.13	3.46	3.99	29.52	31.27
18	लद्दाख	0.45	0.93	2.32	0.36	3.00
19	लक्षद्वीप	0.40	0.61	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	20.62	9.93	9.98	44.97	62.16
21	महाराष्ट्र	27.58	26.60	76.87	120.00	175.44
22	मणिपुर	3.14	9.09	0.00	0.00	0.00
23	मेघालय	2.69	3.04	0.39	1.00	3.71
24	मिजोरम	7.73	2.94	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	6.64	5.90	0.41	3.97	3.75
26	ओडिशा	30.37	29.93	2.97	15.46	18.03
27	पुदुचेरी	1.16	0.79	0.68	2.46	3.00
28	पंजाब	5.76	9.36	16.31	30.65	72.89
29	राजस्थान	14.51	13.44	4.79	16.98	4.90
30	सिक्किम	5.12	1.51	1.75	0.91	5.86
31	तमिलनाडु	12.95	3.23	24.02	72.00	98.59
32	तेलंगाना	33.16	16.88	2.31	15.40	47.82
33	त्रिपुरा	3.11	10.35	0.15	1.13	3.75
34	उत्तर प्रदेश	36.29	24.08	21.06	79.55	140.07
35	उत्तराखंड	6.03	2.26	2.45	8.24	14.06
36	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	6.28	2.50
